राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर
(जिला तम्बाकु नियंत्रण सेल)

<u>आदेश</u>

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा—बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/—तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :—

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने—अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में

प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक ॥ (तंबाकू) मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, मुंगेर/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला मुंगेर/ स्वास्थ अधीक्षक, जिला अस्पताल, मुंगेर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुंगेर /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर/ सभी सी0डी0पी0ओ0, मुंगेर/ श्रम अधीक्षक, मुंगेर / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मुंगेर/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक ॥ (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक ॥ (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेषक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।